सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बीटा बिल्डिंग", 9वीं मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गॉव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)
मुंबई - 400 042 / MUMBAI – 400 042

टेलीफोन: 022 – 25752040/1/2/3
फैक्स: 022 – 25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022 - 25752040/1/2/3
Fax: 022 – 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

वर्ष 2013 के नौमनि आदेश सरकार 19 का अनुशेष

फा.सं. 49-एनटी(2)/2004-भाग

दिनांक : 28.10.2014

विषय: अन्तर्देशीय जलयान (आईवी) की सीमाओं की घोषणा और तटवर्ती व्यापार संबंधी प्रचालनों को सरल बनाये जाने संबंधी अनुशेष।

परिच्छेद 4 में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पाठ की अंतिम पंक्ति के बाद निम्नोक्त जुड़ जाएगा –

(एनआईओ) – समुद्र सूचना सेवाओं हेतु भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र (आईएनसीओआईएस) या भारत सरकार का कोई अन्य सक्षम संगठन यह अध्ययन कार्य करेगा ।

(गौतम चटर्जी)
नौवहन महानिदेशक एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बीटा बिल्डिंग", 9वीं मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)
मुंबई - 400 042 / MUMBAI – 400 042

टेलीफोन: 022 – 25752040/1/2/3
फैक्स: 022 – 25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022 - 25752040/1/2/3
Fax: 022 – 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फा.सं. 49-एनटी(2)/2004-भाग   दिनांक : 30.10.2014

विषय: अन्तर्देशीय जलयान (आईवी) की सीमाओं की घोषणा और तटवर्ती व्यापार संबंधी प्रचालनों को सरल बनाये जाने संबंधी अनुशेष।

सेवा में,

1. चेयरमैन, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ए-13, सैक्टर-1, नोएडा-201301.
2. पतों की संलग्न सूची के अनुसार

महोदय,

मुझे विषय वस्तु के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि नौमनि आदेश संख्या 19/2003 (दिनांक 16.09.2013) के बारे में यह बात दृष्टिगोचर हुई है कि भारत के तट पर लहर की ऊंचाई के डाटा का विश्लेषण करने के लिए मात्र राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) को ही विनिर्धारित किया गया था । अधिक सेवा प्रदाता उपलब्ध करवाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि पहले से विहित एनआईओ के अलावा इसमें भारत सरकार के और ऐसे अभिकरणों को शामिल किया जाए जो ऐसे अध्ययन करने में विशेषज्ञता प्राप्त हों ।

अतएव, दिनांक 28.10.2014 के समसंख्यक अनुशेष को एतद्द्वारा संलग्न करने का मुझे निदेश हुआ है ।

इसलिए, संलग्न अनुशेष के आवश्यक पाठ को जोड़े जाने के बाद, परिशोधित परिच्छेद 4 को निम्नोक्त रूप से पढ़ा जाएगा –

-2-

उद्धरण -

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 2 और धारा 3(41) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसरण में, आंशिक रूप से सौम्य जल का क्षेत्र वह होगा जहां सबसे ऊंची लहर की ऊंचाई 2 मीटर हो । आधार रेखा से परे अन्तर्देशीय जल का विस्तार चाहने वाले तटवर्ती राज्य संगत विश्लेषण राष्ट्रीय महासागर विज्ञान (एनआईओ), समुद्र पर सूचना सेवाओं हेतु भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र (आईएनसीओआईएस) या ऐसा अध्ययन करने में सक्षम भारत सरकार के किसी और संगठन के माध्यम से करवाएं ।

अनुद्धरण -

उपर्युक्त आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए है ।

भवदीय,

(कप्तान एस.के. शुक्ला)
उप नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार